बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994[1]

[बिहार अधिनियम 8, 1994]

बिहार राज्य में मोटर वाहनों पर कर के अधिरोपण एवं उद्ग्रहण के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं।—इस अधिनियम में संदर्भ से जबतक अन्यथा अपेक्षित न हों:—

(क) ''अतिरिक्त मोटर वाहन कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन अधिरोपित कर;

(ख) ''निबन्धन प्रमाण-पत्र'', ''माल'', ''मालवाहन'', ''सकल वाहन वजन'', ''अशक्त यात्री वाहन'', ''मोटर कैब'', मोटर साइकिल'', ''मोटर वाहन'', ''निजी सेवा वाहन'', ''ट्रेलर'', ''लदान रहित वजन'', ''निबंधन प्राधिकारी'', ''ट्रैक्टर'', ''परिवहन वाहन'', तथा अन्यान्य जो इस अधिनियम में विशिष्ट रूप में परिभाषित नहीं है का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं॰ 59, 1988) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ''मोटर वाहन कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित कर;

(घ) ''एकमुश्त कर'' से अभिप्रेत है वैयक्तिक वाहनों के लिए इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिरोपित कर;

(ङ) ''वाहन स्वामी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके नाम में मोटर वाहन निबंधित है या वह व्यक्ति, जिसका उस वाहन पर अधिकार और नियंत्रण है;

(च) ''यात्री'' से अभिप्रेत है लोक सेवा वाहन या निजी सेवा वाहन में यात्रा करता हुआ वह व्यक्ति जो चालक, संवाहक या कर्त्तव्य पर तैनात परमिटधारी के अन्य कर्मचारी से भिन्न है;

(छ) ''वैयक्तिक वाहन'' से अभिप्रेत है मोटर साइकिल, (जिसमें मोपेड, स्कूटर एवं साइकिल जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित हो, सम्मिलित है) एवं मोटर कार जिसकी बैठान क्षमता तीन से अधिक और पांच से अनधिक हो तथा जो मात्र निजी व्यवहार में हो;

(ज) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित;

(झ) ''निबंधित स्वामी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके नाम में वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन निबंधित हो;

(ञ) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है;

(ट) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है;

(ठ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची;

(ड) ''करारोपण पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई पदाधिकारी;

(ढ) ''कर प्रतीक'' से अभिप्रेत है वह कर प्रतीक जिसे अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत किया गया हो;

(ण) ''कर'' से अभिप्रेत है वह कर जो इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित हो तथा जिसमें मोटर वाहन कर, अतिरिक्त मोटर वाहन कर, अंतरीय कर एवं एकमुश्त कर जो भी लागू हो, शामिल है;

---

1. [...] गजट (असाधारण) दिनांक 26.4.1994 में प्रकाशित।

Scanned by CamScanner

(त) ''राज्य परिवहन आयुक्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य परिवहन आयुक्त;

(थ) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष।

3. करारोपण पदाधिकारी की नियुक्ति।–राज्य सरकार इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं कर्त्तव्यों के पालन के लिये, किसी भी व्यक्ति को अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्रान्तर्गत करारोपण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

4. केवल कृषि कार्य में व्यवहृत वाहनों को छूट।–यह अधिनियम ऐसे वाहन पर लागू नहीं होगा जो मात्र कृषि में व्यवहृत हों।

स्पष्टीकरण–ऐसे वाहन जो कृषि द्वारा उत्पादित सामानों को ढोने के काम में प्रयुक्त हों, उन्हें इस धारा के अन्तर्गत मात्र कृषि कार्य में व्यवहृत नहीं माना जायेगा।

5. कर उदग्रहण।–(1) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तथा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक निर्बंधित वाहन का स्वामी ऐसे वाहन का, मोटर वाहन कर अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर भुगतान करेगा।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रत्येक परिवहन वाहन का स्वामी ऐसे परिवहन का अतिरिक्त मोटर वाहन कर का अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दरों पर भुगतान करेगा।

[1][''परन्तु व्यक्तिगत व्यवहार के लिए निर्बंधित ओमनी बस अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान का दायी नहीं होगा।''

(3) राज्य सरकार समय-समय पर इस अनुसूची में विहित कर की दरों में अधिसूचना द्वारा बढ़ोत्तरी कर सकेगी;

[2][x x x]

[3][x x x]

[5][(4) सभी वाहन जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत ''बैटरी चालित यान'' परिभाषा से आच्छादित होंगे को कुल कर, अतिरिक्त मोटर वाहन कर सहित, के 50 प्रतिशत् की छूट दी जायेगी।''

[5][(5) वैसे स्टेज कैरेज जिनकी बैठान क्षमता 13 व्यक्तियों से कम नहीं हो एवं छूट हेतु आवेदन दिए जाने के समय एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं हो एवं सरकार द्वारा अधिसूचित नगर निगम के सीमाओं के अधीन निर्धारित रूट पर चलते हों, को कुल कर, अतिरिक्त कर सहित, के 50 प्रतिशत् की छूट दी जायेगी।

[5][(6) प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा जिनके पास 12 वर्षो से अधिक पुराना निर्बंधित परिवहन वाहन है, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को छोड़कर, अतिरिक्त कर सहित कुल कर का 10 प्रतिशत ''हरित कर'' के रूप में देय होगा''।

6. व्यापारी या निर्माता द्वारा देय कर।–मोटर वाहन के निर्माता या व्यापारी द्वारा ऐसे मोटर वाहनों के संबंध में, जो केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अधीन स्वीकृत किए गए व्यापार प्रमाण-पत्र प्राधिकार के अधीन ऐसे निर्माता या व्यापारी के रूप में उसके कारोबार के दौरान उसके कब्जे में है, कर का भुगतान अनुसूची 1 के बदले अनुसूची। III में विनिर्दिष्ट वार्षिक दर से किया जायगा।

7. कर का भुगतान।–(1) वैयक्तिक वाहनों [4][अथवा निजी व्यवहार के छः से बारह बैठान क्षमता के ओमनी बस श्रेणी के बाहनों'' से उनके सम्पूर्ण जीवन के लिए एक मुश्त कर निबन्धन के समय, अनुसूची I में विनिर्दिष्ट दरों पर उदग्रहित किया जायगा:

परन्तु यह कि 1 ली फरवरी, 1992 के पूर्व निर्बंधित वैसा वैयक्तिक वाहन जिसके एक मुष्त कर का भुगतान नहीं किया गया है उसके एक मुश्त कर का भुगतान कर प्रतीक की समाप्ति की तिथि से तीस दिनों के अन्दर अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर करना होगा अन्यथा 1 ली फरवरी, 1992 के पूर्व उदग्रहणीय वार्षिक कर की दर पर 30 नवम्बर 1993 तक परिकलित बकाये राशि तथा अर्थ दंड, यदि कोई हो, के अतिरिक्त एक मुश्त कर की बकाये राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूलनीय होगा।

---

1. ''परन्तुक'' अधि सं॰ 7, 2006 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. ''परन्तुक'' अधिनियम सं॰, 3, 2011 द्वारा निरसित।
3. धारा 5 की उपधारा (4) निरसित तत्रैव।
4. अधिनियम सं॰ 8, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिनियम सं॰ 8, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner

(2) यदि किसी मोटर वाहन जिसके एक मुश्त कर का भुगतान किया जा चुका है और जिसका किसी भी कारणवश निबंधन रद्द कर दिया गया हो, या जो स्वामित्व हस्तांतरण अथवा पता में परिवर्तन के कारण राज्य के बाहर हटा दिया गया हो, कर की वापसी, विहित की जानेवाली शर्त एवं विहित किए जाने वाले समय के अध्यधीन आवेदन देने पर अनुसूची 1 में उपबंधित दर से की जायेगी:

परन्तु यह कि स्वामित्व हस्तान्तरण या पता परिवर्तन के कारण वाहनों को राज्य के बाहर हटाने की स्थिति में भुगतान किए गए कर की वापसी पर विचार तभी होगा जब ऐसे स्वामित्व हस्तांतरण या पता में परिवर्तन का सबूत प्राप्त हो जाय:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर जहां सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है, तो राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना, द्वारा कर वापसी की दरों को भी पुनरीक्षित कर सकेगी और अधिसूचना की तिथि या उसके बाद निबंधित वाहनों के देय कर की वापसी पुनरीक्षित दर पर की जायेगी।

[1][''वैयक्तिक वाहन से भिन्न मोटर वाहनों की स्थिति में, करों का भुगतान वार्षिक कर की दर पर तिमाही के लिए भुगतेय करों की दर से एक या एक से अधिक अवधि के लिए किया जा सकेगा।''

परन्तु यह कि किसी तिमाही से कम अवधि के लिये भुगतान किया गया कर इस अवधि में शामिल प्रत्येक माह या उसके अंश के लिये वार्षिक कर की दर का 1/12 भाग होगा।

[2][''परन्तु प्रत्येक परिवहन वाहन (मालवाहक एवं मोटर कैब को छोड़कर) के मोटर वाहन कर एवं अतिरिक्त कर की गणना, व्हील वेस पर आधारित निम्नलिखित तालिका के अनुसार स्तम्भ 2, 3, 4 एवं 5 में अंकित सीटों की संख्या पर की जायेगी:-

व्हील वेस (इंच)	सीटों की न्यूनतम संख्या			
	साधारण बस	एक्सप्रेस बस	सेमीडिलक्स बस	डिलक्स बस
1	2	3	4	5
228	61	58	49	41
216	55	52	44	37
210	54	51	43	36
206	53	50	42	35
205	53	50	42	35
203	53	50	42	35
204	53	50	42	35
109	48	46	38	32
180	40	38	32	27
179	38	36	30	25
176	37	35	30	25
167	33	31	26	22
166	33	31	26	22
165	33	31	26	22
163	32	30	26	21
143	28	27	22	19
142	25	24	20	17

बसों की नियमावली में यात्री सुविधा और बसों की उम्र के अनुसार 'एक्सप्रेस बस', 'सेमी डिलक्स बस एवं डिलक्स बसों के रूप में श्रेणीकृत किया जायेगा।

(4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अधीन वैयक्तिक वाहनों से भिन्न वाहनों के अस्थायी निबंधन की स्थिति में उन वाहनों से वार्षिक भुगतेय कर का 1/12 की दर से कर उद्ग्रहित होगा। उक्त अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन अस्थायी निबंधन की अवधि विस्तार की स्थिति में 30 दिनों अथवा इसके अंश की अवधि के प्रत्येक विस्तार पर वार्षिक भुगतेय कर

1. अधि सं० 7, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. ''परन्तुक'' अधि० सं० 6, 2003 द्वारा जोड़ा गया (16.7.2002) के प्रभाव से)

Scanned by CamScanner

की 1/12 की दर से कर देय होगा:

परन्तु यह कि वैयक्तिक वाहनों के अस्थायी निबंधन अथवा उसके प्रत्येक अवधि विस्तार के लिए मोटर साइकिल (जिसमें मोपेड, स्कूटर, साइकिल जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित हो, सम्मिलित है) के लिए 50 रुपये एवं मोटरकार के लिए 100 रुपये कर देय होगा।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस राज्य में अस्थायी रूप से चलनेवाले दूसरे राज्यों में निर्बंधित परिवहन वाहनों के लिए, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर कर भुगतान करने पर एवं विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययधीन अस्थायी कर प्रतीक निर्गत किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि, राज्य में अस्थाई रूप से परिचालन की इच्छा से अन्य राज्यों से आने वाले परिवहन वाहनों से तिमाही कर की वसूली नहीं की जायेगी और कर की दर किसी भी दशा में निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

(क) यदि कर प्रतीक सात दिन से अधिक के लिये न हो तो भुगतेय कर इस राज्य में निर्बंधित वाहनों के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के बीस प्रतिशत के बराबर;

(ख) यदि कर प्रतीक चौदह दिनों से अधिक के लिये न हो तो भुगतेय कर इस राज्य में निर्बंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के तीस प्रतिशत के बराबर;

(ग) यदि कर प्रतीक चौदह दिनों से अधिक तथा तीस दिनों से कम के लिये है तो भुगतेय-कर इस राज्य में निर्बंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के पैतालीस प्रतिशत के बराबर;

(घ) यदि "कर प्रतीक" एक समय में तीस दिनों से अधिक के लिये हो तो भुगतेय कर की कुल राशि प्रथम 30 दिनों के लिए इस राज्य में निर्बंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के पैतालीस प्रतिशत तथा बाद के प्रत्येक 14 दिनों या अंश की अवधि के लिये इस राज्य में निर्बंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के तीस प्रतिशत के बराबर।

(6) उप-धारा (1), (2) अथवा (3) के अन्तर्गत किसी अवधि के कर भुगतान के समय-

(क) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुरूप संबंधित वाहन का मान्य निबंधन प्रमाण-पत्र एवं बीमा का मान्य प्रमाण-पत्र करारोपण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा; एवं

(ख) करारोपण पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र की दो प्रतियों में घोषणा-पत्र पूर्व के कर प्रतीक, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करना होगा।

[1]["(7) कृषि उत्पादों के परिवहन कार्यों के निमित ट्रैक्टर एवं ट्रेलर के लिये सम्मिलित रूप से एक मुश्त कर की व्यवस्था होगी जिसकी दर तीन हजार रुपये प्रति टैक्टर ट्रेलर होगी यदि ट्रैक्टर की शक्ति 25 एच० पी० तक हो तथा ट्रेलर की क्षमता तीन टन से अधिक न हो और यह दर पाँच हजार रुपये प्रति ट्रेक्टर ट्रेलर होगी यदि ट्रैक्टर की शक्ति 25 एच० पी० से अधिक हो तथा ट्रेलर की क्षमता 5 टन से अधिक न हो। राज्य सरकार को एक विहित समय सीमा के भीतर प्रभारित होने वाली कम्पाउन्डिंग फीस से सम्बन्धित एक योजना अधिसूचित करने की शक्ति होगी ताकि कृषि कार्यों के लिए व्यवहार में लायी जा रही अरजिस्ट्रीकृत ट्रैक्टर ट्रेलर रजिस्ट्रीकृत किये जा सकें। तत्संबंधी योजना प्रवृत्त करारोपण नियमावली के अधीन अधिसूचित की जा सकेगी।

[2][(8)(क) गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये ट्रैक्टर पर इसके क्रय मूल्य, वैट को छोड़कर, का एक प्रतिशत आजीवन कर देय होगा।

परन्तु यह कि, पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर के द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में जमा किये गये कर को घटा कर की जायेगी।

(ख) 3000 कि० ग्रा० तक के निर्बंधित लदान क्षमता वाले सभी ट्रैलर जिन्हें गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है या रखा गया है, से एक मुश्त रु० 4,000.00 कर देय होगा तथा 3000 कि०ग्रा० से अधिक निर्बंधित लदान क्षमता वाले सभी ट्रैलर से रु० 6,000.00 एकमुश्त कर देय होगा।

1. "उपधारा (7)" अधि० सं० 11, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. "उपधारा (8)" अधि० सं० 8, 2010 द्वारा अन्तःस्थापित।

Scanned by CamScanner

परन्तु यह कि, पूर्व से निबंधित ट्रैलर द्वारा एकमुश्त देय कर की गणना पूर्व में जमा किये गये कर को घटा कर की जायेगी।

8. अन्तरीय कर का भुगतान-(1) जब किसी मोटर वाहन का किसी अवधि के लिये कर का भुगतान कर दिया गया हो एवं उक्त अवधि के अन्दर हीं उस वाहन के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया हो या ऐसे वाहन के उपयोग में ऐसे परिवर्तन का प्रस्ताव हो, जिस उपयोग के लिए उच्चतर दर से कर भुगतेय हो तो वाहन का स्वामी करारोपण पदाधिकारी को, भुगतान किये गये कर एवं ऐसे वाहन के उपयोग अथवा स्वरूप में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप देय कर के बीच की भिन्नता के बराबर की राशि का अन्तरीय कर भुगतान करेगा जो उस अवधि के लिये होगा जिस अवधि में वाहन का स्वरूप या उपयोग में परिवर्त्तन के चलते उच्चतर दर पर कर देय हो।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत अन्तरीय कर का भुगतान विहित समय के अंदर एवं यथाविहित रीति से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण (i)- अन्तरीय कर के अवधारण में एक माह से कम की अवधि को एक माह के रूप में गिनती की जायेगी।

स्पष्टीकरण (ii)- मोटर वाहन को परिवर्तित रूप में ही माना जायेगा यदि उसका वास्तविक उपयोग परिवर्तित रूप में हुआ हो। इस परिवर्तन के संदर्भ में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के अन्तर्गत निबंधन प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई न करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. कर का भुगतान कहां किया जायेगा-(1) नये निबंधित वाहनों के लिये कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी के समक्ष किया जायेगा जिसके क्षेत्रान्तर्गत निबंधन का स्थान पड़ता हो।

(2) ऐसे वाहन जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या पूर्व से निबंधित है, के कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी के समक्ष किया जाता रहेगा, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पहले कर का भुगतान किया गया था।

(3) यदि वैयक्तिक वाहन से भिन्न किसी वाहन के स्वामी के निवास अथवा व्यवसाय के स्थान में परिवर्त्तन हो जाता है एवं उसके नये निवास या व्यवसाय का स्थान दूसरे करारोपण पदाधिकारी के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो वह-

(क) उसी स्थान पर कर का भुगतान करना जारी रख सकता है, जहां वह पहले कर का भुगतान कर रहा था; या

(ख) दूसरे करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान करना प्रारम्भ कर सकता है, जिसके क्षेत्रान्तर्गत उसका नया निवास अथवा व्यवसाय का स्थान पड़ता है:

परन्तु यह कि नया करारोपण पदाधिकारी कर भुगतान तबतक स्वीकार न करेगा जबतक कि वाहन स्वामी विहित प्रपत्र में विहित रीति से पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत न कर दे।

10. वार्षिक कर के अग्रिम भुगतान पर छूट।-परिवहन वाहन के मामले में यदि वार्षिक कर का भुगतान अग्रिम रूप में एक मुश्त में किया जाता है, तो वार्षिक कर की राशि के [1][10 प्रतिशत की समतुल्य छूट अनुमान्य होगी।

11. कर प्रतीक और प्राप्ति रसीद।-(1) किसी मोटर वाहन के लिये धारा 7 के अन्तर्गत मोटर वाहन कर या अतिरिक्त मोटर वाहन कर, या धारा 8 के अन्तर्गत अन्तरीय कर का भुगतान करने पर करारोपण पदाधिकारी भुगतान करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद एवं कर प्रतीक विहित रीति से निर्गत करेगा

(2) करारोपण पदाधिकारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन वाहन के संबंध में निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र में कर भुगतान का विवरण पृष्ठांकित करेगा।

12. कर प्राप्ति से इन्कार।-इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन करारोपण पदाधिकारी किसी मोटर वाहन के संबंध में वर्त्तमान अवधि के लिये देय कर और अर्थ दंड, यदि कोई हो, उस समय तक स्वीकार नहीं करेगा जबतक कि उस वाहन के संबंध में देय कर और अर्थ दंड के बकाये का पूर्ण रूप से भुगतान या निपटान न हो गया हो।

1. अधि० सं० 8, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]["परन्तु बकाया कर/अर्थदण्ड की राशि 50000.00 (पचास हजार) रु० [2][तथा तीन पहिया वाहन के लिए 10,000 (दस हजार) रु० एवं हल्के मोटर वाहन के लिए 25,000.00 (पचीस हजार) रु०" या अधिक होने की स्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त से अन्यून स्तर के पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी आवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्दर बकाया कर/अर्थदण्ड की राशि मासिक किश्तों में वर्तमान कर के साथ स्वीकार कर औपबंधिक कर-प्रतीक निर्गत करने के आदेश दे सकेंगे, जो किसी भी स्थिति में छह किश्तों से अधिक नहीं होगी।"

13. उत्तराधिकारी पर बकाया कर के भुगतान का दायित्व।-(1) यदि किसी वाहन का स्वामी संबंधित वाहन के देय कर का भुगतान किये बिना उस वाहन का स्वामित्व, कब्जा अथवा नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित कर देता है तो वह व्यक्ति, जिसके स्वामित्व, कब्जे अथवा नियंत्रण से संबंधित वाहन आ गया है, वाहन पर बकाये कर एवं अर्थ दंड, यदि कोई हो, के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

(2) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उक्त कर के भुगतान हेतु उस व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी, जिसने स्वामित्व का हस्तान्तरण कर दिया है या ऐसे वाहन के कब्जे अथवा नियंत्रण से अलग हो गया है।

14. बाहर के राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों का कर के भुगतान किये बिना इस राज्य में व्यवहार पर निषेध।-धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन, किसी परिवहन वाहन का उस समय तक बिहार में न तो परिचालन किया जायेगा, और न ही परिचालन के लिये रखा जायेगा, जबतक कि उस वाहन के संबंध में [3][बिहार राज्य में परिचालन हेतु परमिट की सम्पूर्ण वैध अवधि के लिए अनुसूची I एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर यथा विनिर्दिष्ट अनुसूची II] में विनिर्दिष्ट समुचित दर पर संगणित कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यह कि ऐसे राज्यों के ऐसे मोटर वाहनों जिसका परमिट राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता, जिसमें कर की छूट का प्रावधान है, के अधीन उस राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत है, जो बिहार में परिचालित है, के लिये इस धारा के अन्तर्गत मोटर वाहन कर के अतिरिक्त दूसरा कर भुगतान नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन अन्य राज्यों के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत परमिटधारी द्वारा बिहार राज्य में परिचालन की स्वेच्छा देने पर राज्य सरकार द्वारा कर के बदले में कम्पोजिट शुल्क के रूप में निर्धारित की जानेवाली राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में वार्षिक दर पर बैंक ड्राफ्ट या अन्य विहित तरीके से संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष करना होगा।

[4][x x x]

[5][**15. (1) राज्य सरकार को, कतिपय वाहनों को कर से छूट देने की शक्ति।**-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर वाहन के किसी वर्ग के संबंध में कर मुक्ति या कर की दर में कमी या कर भुगतान के संबंध में अन्य उपान्तरण कर सकती है।

[6][(2) "अतिरिक्त मोटर वाहन कर की गणना हेतु वाहन की सामान्य एवं प्रतिरोध मरम्मती तथा अनुरक्षण, विधि व्यवस्था की स्थिति, सड़कों की स्थिति, निर्वाचन, प्राकृतिक आपदा आदि को देखते हुए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मोटर वाहन के किसी वर्ग विशेष के लिये उद्ग्रहित होने वाले अतिरिक्त मोटर वाहन कर से विमुक्ति के दिनों की संख्या [7][अधिसूचना द्वारा] विर्निदिष्ट कर सकेगी जो [8][x x x] नियत अवधि के लिये प्रभावी रहेगा तथा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

परन्तु एक माह में दिनों की संख्या जिनके लिये अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान में विमुक्ति दी जा सकेगी, किसी भी परिस्थिति में एक माह में दस दिनों से अधिक नहीं होगी।

---

1. अधि सं० 7, 2006 द्वारा "परन्तुक" जोड़ा गया।
2. अधि० सं० 8, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
3. अधि० सं० 6, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित (26.4.1994 के प्रभाव से)
4. "परन्तुक" अधि सं० 7, 2006 द्वारा निरसित।
5. "उपधारा (2)" अन्त: स्थापित तत्रैव (16.7.2002 से प्रभावी)
6. अधि सं० 7, 2006 द्वारा अत: स्थापित।
7. अधि सं० 8, 2007 द्वारा अन्त: स्थापित।
8. शब्द "अधिसूचना की तिथि से" विलोपित तत्रैव।

Scanned by CamScanner

परन्तु यह भी वाहन की उम्र के आधार पर भी भुगतेय अतिरिक्त कर में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत कर विनिर्दिष्ट दर में छूट दी जा सकेगी।''

16. कर मुक्ति प्रतीक का निर्गमन।-करारोपण पदाधिकारी, उन मोटर वाहनों को जिन्हें धारा 15 के अन्तर्गत कर के भुगतान के दायित्व से मुक्त किया गया है, विहित प्रपत्र में कर मुक्ति प्रतीक निर्गत करेगा।

17. वाहनों के अस्थायी परिचालन-विराम की अवस्था में पूर्व सूचना।-(1) जब कोई मोटर वाहन यांत्रिक खराबी, विवाद अथवा [1]"[प्राकृतिक आपदा या बाध्यकारी व्यक्तिगत कारण" या राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य कारणों से एक माह से अधिक की किसी अवधि के लिये उपयोग के योग्य नहीं रहता है, तो संबंधित वाहन का स्वामी जिस अवधि के लिये कर भुगतान किया गया है उसकी समाप्ति की तिथि को या उसके पूर्व करारोपण पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित परिवचन देगा। अन्य विवरणों के अतिरिक्त, परिचालन-विराम की अवधि में वाहन रखे जाने का स्थान भी अंकित रहेगा। परिवचन के साथ वाहन का निबंधन प्रमाण-पत्र, योग्यता-प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, तथा कर प्रतीक अन्य विहित कागजात के साथ करारोपण पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये जायेंगे। परिचालन विराम के अवधि के विस्तार अथवा इस अवधि में वाहन रखे जाने के स्थान में परिवर्त्तन, यदि कोई हो, की पूर्व सूचना यथासमय करारोपण पदाधिकारी को दी जायेगी। संबंधित वाहन का परमिट, यदि कोई हो, भी उस प्राधिकार, जिसके द्वारा उक्त परमिट निर्गत किया गया है, के समक्ष करारोपण पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए, प्रत्यर्पित किया जायेगा:

परन्तु यह कि कोई ऐसा परिवचन एक बार में छः माह से अधिक अवधि के लिये नहीं होगा।

(2) यदि उपर्युक्त परिवचन में आवृत्त अवधि के अन्दर किसी समय संबंधित मोटर वाहन उपयोग में पाया जाता है या परिवचन के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर पाया जाता है, तो ऐसा वाहन इस अधिनियम के उद्धेश्य से, उक्त संपूर्ण अवधि में बिना कर भुगतान किये, उपयोग में लाया गया माना जायेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन परिवचन समर्पित किये जाने के अभाव में इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक मोटर वाहन को राज्य के अन्दर उपयोग में अथवा उपयोग के लिये रखा मान कर, कर भुगतान के लिये दायी माना जायेगा।

18. कर की वापसी-(1) यदि किसी व्यक्ति ने किसी मोटर वाहन के संबंध में कर का भुगतान किया है, तो वह निम्नांकित परिस्थितियों में कर की वापसी का हकदार होगा:

(क) जब धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे मोटर वाहन के संबंध में परिवचन समर्पित किया गया है, जो कर वापसी आवेदन देने की तिथि तक करारोपण पदाधिकारी द्वारा, विहित जांच पड़ताल के पश्चात् उनके मत से मिथ्या न पाया गया हो, परिवचन देने की तिथि से कर भुगतान की अवधि की अंतिम तिथि तक की अनवसित अवधि के लिए प्रति कैलेण्डर माह पर वार्षिक कर का बारहवां हिस्सा का;

(ख) करारोपण पदाधिकारी द्वारा अधिक कर निर्धारण अथवा अन्य कारण से भुगतेय राशि से ज्यादा कर का भुगतान कर दिया गया हो तो अतिरिक्त जमा राशि का; एवं

(ग) जहां किसी वाहन का कर भुगतान किया गया हो, एवं बाद में यह पाया जाए कि वह वाहन कर के अध्यधीन नहीं है तो जमा कर-राशि का:

परन्तु यह कि कर की वापसी तब तक नहीं की जायेगी तब तक इसके लिये संबंधित व्यक्ति, करारोपण पदाधिकारी, को, कर वापसी की देय तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन न करता हो, और ऐसी प्रत्येक वापसी विहित शर्त्तों के अधीन रहेगी:

परन्तु यह और कि करारोपण पदाधिकारी विहित सीमा तक की राशि की वापसी की स्वीकृति के लिये सक्षम होगा और वापसी की राशि अधिक होने पर मामले को राज्य परिवहन आयुक्त या ऐसे पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, को निर्दिष्ट करेगा।

(2) कोई भी राशि जो उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अन्तर्गत वापस होने वाले है, प्रार्थी की स्वेच्छा पर आगामी अवधि में देय कर में सामंजित की जा सकेगी:

परन्तु यह कि, यदि कोई कर या अर्थ दंड, यदि कोई हो, प्रार्थी पर पूर्व अवधि से बकाया हो, तो ऐसी स्थिति में लौटायी जाने वाली राशि सर्वप्रथम बकाये राशि के विरुद्ध सामंजित की जायेगी और शेष बची राशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।

---

1. "16" "धारा 15(1) के रूप में अधि सं० 6, 2003 द्वारा पुनर्संख्यांकित" (16.7.2002 से प्रभावी)

Scanned by CamScanner

19. कर से विमुक्ति और उसका अपलेखन।-यदि धारा 17 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत मोटर वाहन के लिये परिवचन दिया जाता है, और वैसे परिवचन में विनिर्दिष्ट अवधि ऐसी हो, जिसके लिये कर का भुगतान नहीं किया गया हो, वाहन स्वामी करारोपण पदाधिकारी के पास किये गये कर भुगतान की अवधि की अन्तिम तिथि के पहले या अन्तिम तिथि को आवश्यक कागजात के साथ आवेदन दाखिल करेगा करारोपण पदाधिकारी यथाविहित सम्यक् जांच करेगा और यदि परिवचन में अंकित छूट की अवधि के अन्तिम तिथि तक दावा मिथ्या साबित नहीं हुआ तो जिस अवधि के कर के भुगतान की विमुक्ति के लिये दावा किया गया है, संतुष्टि के बाद, करारोपण पदाधिकारी विहित रीति द्वारा दावे का निपटारा करेगा:

परन्तु यह कि करारोपण पदाधिकारी सरकार द्वारा विहित अधिकतम राशि तक बकाये कर की राशि का अपलेखन करने के लिए सक्षम होगा। यदि बकाये की राशि सरकार द्वारा विहित राशि से अधिक हो तो वह आवश्यक दस्तावेज सहित मामले को राज्य परिवहन आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

20. कर प्रतीक का प्रदर्शन।- कोई भी मोटर वाहन राज्य के अन्दर उपयोग में नहीं लाया जायेगा या उपयोग के लिये नहीं रखा जायेगा जब तक कि वाहन के लिये धारा 11 के अन्तर्गत मान्य कर-प्रतीक प्राप्त नहीं कर लिया गया हो और उसे विहित रीति से वाहन पर प्रदर्शित नहीं किया गया हो।

21. कर, जुर्माना और अर्थ दण्ड की भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूली।-बकाया कर शास्ति या अर्थ दंड की वसूली बकाया भू-राजस्व की वसूली की रीति से की जायेगी। जिस मोटर वाहन पर कर, शास्ति या अर्थ दंड बकाया है, उस मोटर वाहन को या उसके उप-साधन को कुर्क किया जा सकता है या बेचा जा सकता है चाहे वह मोटर वाहन या उप-साधन कर, शास्ति या अर्थ दंड भुगतान के लिये जवाबदेह व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में हो अथवा नहीं।

[1]["**21 क**-प्रत्येक व्यावसायिक वाहन के साथ-साथ वार्षिक कर देनेवाले वाहन के निबंधन तथा/अथवा परमिट प्राप्ति के समय वाहन मालिक को अपने बैंक खाते का उल्लेख करना आवश्यक होगा एवं अपनी आर्थिक सुदृढ़ता (यथा स्थिति) के संबंध में संबंधित बैंक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। कर भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में, व्यतिक्रमी वाहन मालिक के बैंक ख़ाते का परिवहन विभाग के करारोपण पदाधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी द्वारा अधिग्रहण किया जा सकेगा"।

22. तलाशी और अधिग्रहण-(1) कोई करारोपण पदाधिकारी या परिवहन विभाग को कोई पदाधिकारी जो मोटर वाहन निरीक्षक की कोटि से अन्यून कोटि का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा इस हेतु प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी-

(क) किसी भवन या परिसर में, सूरज उगने से सूरज डूबने तक के बीच की अवधि में किसी भी समय प्रवेश कर सकता है यदि उसे इस बात का विश्वास हो कि कोई मोटर वाहन वहां रखा गया है, या

(ख) वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्थित मोटर वाहन के चालक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे मोटर वाहन को रोके एवं तब तक रोके रख सकता है जब तक कि वह युक्तियुक्त ढंग से संतुष्ट नहीं हो जाय कि उस वाहन के कर की अदायगी हो चुकी है और कर प्रतीक प्राप्त कर लिया गया है।

(2) यदि कर या अर्थ दंड, यदि कोई हो अथवा कर तथा अर्थ दंड दोनों का भुगतान इस अधिनियम के मुताबिक नहीं हुआ है तो उप-धारा (1) के अन्तर्गत संबंधित पदाधिकारी उस वाहन को जप्त कर तब तक रोक सकता है, जब तक कर का भुगतान नहीं हो जाय, एवं इस प्रकार की जप्ती पर उस वाहन को अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये जैसा उचित समझे, कार्रवाई कर सकता है, एवं वाहन स्वामी या उसका प्रभारी अथवा चालक उस पदाधिकारी के उस जप्ती को प्रभावी बनाने हेतु वाहन पहुंचाने संबंधी आदेशों एवं निर्देशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा:

परन्तु यह कि ऐसी जप्ती या ऐसे वाहन के निरुद्ध करने की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, सिवाय ऐसी रीति तथा ऐसी परिस्थिति एवं ऐसी शर्त्तों के अध्यधीन, जैसा कि यात्रियों तथा माल, यदि कोई हो, के परिवहन की युक्तियुक्त सुविधा का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार विहित करें।

23. समय पर कर भुगतान न करने की स्थिति में अर्थ दण्ड भुगतान का दायित्व-वैयक्तिक वाहन से भिन्न किसी मोटर वाहन के भुगतेय कर का भुगतान विहित अवधि में न किये जाने की स्थिति में, वाहन स्वामी उस मोटर वाहन के कर के भुगतान के साथ-साथ विहित राशि अर्थ दंड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा।

1. "धारा 21 क" अधि सं० 11, 2002 द्वारा अन्त:स्थापित।

Scanned by CamScanner

1["परन्तु किसी वाहन या किसी वाहन के किसी वर्ग के द्वारा भुगतेय कर पर देय अर्थदण्ड के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा भुगतान से विमुक्ति, कमी या अन्य उपांतरण कर सकती है।"

24. कतिपय मामलों में मोटर वाहन के उपयोग पर प्रतिबंध–इस अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान के लिये उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति वाहन को उपयोग में नहीं लायेगा, या उपयोग में नहीं लाने देगा, यदि उसे यह विश्वास हो कि उस वाहन का कर-प्रतीक, कर रसीद या अनुज्ञप्ति जाली है, या हेर-फेर किया हुआ है या धोखे से प्राप्त किया गया है।

25. विहित अवधि के अन्दर कर भुगतान नहीं किये जाने पर परमिट की अमान्यता।- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यदि परिवहन वाहन के देय कर का भुगतान विहित अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो उक्त विहित अवधि की समाप्ति की तिथि से कर अदायगी की तिथि तक वह परमिट अमान्य रहेगा।

26. अपील।-(1) करारोपण पदाधिकारी के किसी आदेश या निदेश से या धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन पारित जप्ती आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति विहित समय के अन्दर और विहित रीति से इसके लिए विहित शुल्क भुगतान कर विहित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

(2) अपील की सुनवाई एवं निस्तार विहित तरीके से किया जायगा।

(3) धारा 27 के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे अपील का निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में इस पर विवाद नहीं उठाया जायेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर करारोपण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश या निदेश या धारा 22 के अधीन वाहन जप्ती अथवा मुक्ति से संबंधित आदेश का अभिलेख मांग सकेगा और ऐसे मामले में यदि वह पायेगा कि प्रश्नगत आदेश बिना अधिकारिता के या अवैध है तो वह जैसा उचित समझेगा आदेश पारित करेगा।

27. पुनरीक्षण- अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से विहित समय के अन्दर और विहित शुल्क का भुगतान कर विहित तरीके से विहित प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण दायर कर सकेगा जिसमें इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना कर सकेगा कि आक्षेपित निर्णय विधि-सम्मत नहीं है तथा उक्त पुनरीक्षण प्राधिकारी पुनरीक्षण में ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई हानिकारक आदेश उसे सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये बिना पारित नहीं करेगा।

28. शास्ति।–(1) (क) यदि कोई व्यक्ति किसी मोटर वाहन को कर का भुगतान किये बिना उपयोग करता है या उपयोग में लोने के लिये रखता है, तो वह जुर्माना का भागी होगा जो प्रथम अपराध की दशा में वाहन के वार्षिक कर की रकम के दुगुना और दूसरे या बाद के प्रत्येक अपराध की दशा में तिगुना से अनधिक होगा।

(ख) जो भी व्यक्ति जान बूझकर मोटर वाहन के संबंध में कोई घोषणा-पत्र या परिवचन दाखिल करता है, जिसमें इस अधिनियम के अनुसार अपेक्षित विवरण असत्य दिया है या झूठ कहा गया हैं तो दोष सिद्ध होने पर वैसा व्यक्ति प्रथम अपराध की दशा में उस वाहन के वार्षिक कर के दुगुना से अनधिक एवं बाद के प्रत्येक अपराध के लिए तिगुनी राशि के अनधिक तक जुर्माना का भागी होगा।

(2) जो भी व्यक्ति कर भुगतान के लिये स्वयं दायी नहीं है, यह जानते हुए या ऐसी जानकारी के विश्वास करने का कारण होते हुए भी कि संबंधित वाहन के कर का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे वाहन को चलता है तो इसके लिए दोष सिद्ध होने पर प्रथम अपराध के लिए 300 रु॰ और प्रत्येक बाद के अपराध के लिए 500 रु॰ तक के अधिकतम जुर्माने का भागी होगा।

(3) जो भी व्यक्ति धारा 20 के अन्तर्गत विहित रीति से कर-प्रतीक का प्रदर्शन नहीं करता है, वह इस अपराध के लिये अधिकतम 500 रुपये तक के जुर्माना का भागी होगा।

(4) जो भी व्यक्ति धारा 17 या 18 के अन्तर्गत परिवचन के आधार पर कर की वापसी या कर से विमुक्ति के लिये दावा करे और यदि उक्त परिवचन तथ्य का दुर्व्यप्रदर्शन साबित हो तो दोष होने पर वैसा व्यक्ति प्रथम अपराध की दशा में अधिकतम जुर्माना जो कर वापसी या विमुक्ति की दावा राशि के बराबर एवं बाद के प्रत्येक अपराध के लिये दावा की गई राशि के चौगुना तक हो सकता है, भागी होगा।

1. परन्तुक" अधि॰ सं॰ 7, 2006 द्वारा जोड़ा गया।

Scanned by CamScanner

(5) जो भी व्यक्ति धारा 24 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह दोष सिद्ध होने पर 6 माह तक के साधारण कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंड का भागी होगा तथा वाहन भी राज्य सरकार द्वारा समपहृत कर लिया जायेगा।

(6) जो भी व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तथा ऐसे अपराध के लिये पूर्ववर्ती उप-धाराओं में दण्ड विहित नहीं किया गया है, तो प्रथम अपराध की दशा में 500 रुपये तक और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए 1,000 रुपये तक के जुर्माने का दायी होगा।

[1][(7) अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत वाहन, बिना विहित कर भुगतान किये अथवा बिना वैध परमिट के यदि बिहार राज्य में परिचालन करते पाये जायेंगे, तो भुगतेय करों एवं फीस के अतिरिक्त, उनके [2][दो गुणा जुर्माना के भुगतान के भी दायी होंगे।"

[3]["(8) (i) यदि कोई व्यक्ति गलत या झूठा घोषणापत्र समर्पित करता है, तो दोष सिद्ध होने पर एक हजार रुपये तक के दण्ड का भागी होगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति विहित रीति से कर-प्रतीक का प्रदर्शन नहीं करता है, तो दोष सिद्ध होने पर चार सौ रुपये तक दण्ड का भागी होगा।

(iii) यदि कोई व्यक्ति अपना वर्तमान पता में परिवर्तन की सूचना नहीं देता है, तो दोष सिद्ध होने पर पाँच सौ रुपये तक के दण्ड का भागी होगा।

(iv) यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन कर की जाँच के लिए रोकने के आदेश पर वाहन को जानबूझ कर नहीं रोकता है, तो सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये तक के अर्थदण्ड का भागी होगा।

(v) यदि कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी को उसके कर्त्तव्य निर्बहन में बाधा डालता है, तो वह एक हजार रुपये तक के दण्ड का भागी होगा।

(vi) यदि कोई व्यक्ति उस अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान किये बिना मोटर वाहन का परिचालन करता है अथवा गलत तथा जाली टैक्स-टोकन के आधार पर परिचालन करने के लिए अनुमति देता है, तो वह दो हजार रुपये तक के दण्ड का भागी होगा।

29. अपराध का शमन।–यदि कोई व्यक्ति धारा 28 की उप-धारा (5) से भिन्न धारा 28 के अन्तर्गत अभियुक्त है तो उसके लिये यह विधि-सम्मत होगा कि वह बकाया कर तथा अर्थ-दंड की राशि, यदि कोई हो, के साथ ऐसी राशि जो विहित की जाय को विहित प्राधिकारी के पास ऐसे अपराध के शमन हेतु भुगतान करें, शमन की राशि के भुगतान के बाद वह दोषमुक्त समझा जायगा और इस अपराध के लिये उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी।

30. अधिकारिता का वर्जन।- इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित्त नियमावली के उपबंधों से भिन्न किसी व्यक्ति के कर भुगतान के दायित्व को किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार आक्षेपित या अवधारित नहीं किया जायेगा। किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित्त नियमावली के अधीन सद्भावपूर्वक किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के संबंध में कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलायी जा सकेगी।

31. नियम बनाने की शक्ति।–(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन कर, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित समस्त या उसमें से किसी विषय के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, यथा-

(i) घोषणा-पत्र, प्रमाण-पत्र के प्रपत्र एवं उन प्रपत्रों की विशिष्टियों को विहित करना;

(ii) धारा 17 के अन्तर्गत दिये जाने वाले परिवचन के प्रपत्र, तथा उसमें वर्णित विशिष्टियां, एवं उसके साथ संलग्न होने वाले कागजात एवं सबूत तथा उसे दाखिल करने की समय-सीमा को विहित करना

(iii) वैयक्तिक वाहन एवं अन्य वाहनों के कर-प्रतीक एवं कर-मुक्ति प्रतीक के प्रपत्र तथा उसे वाहन पर प्रदर्शन के तरीके को विहित करना;

(iv) धारा 7 के प्रयोजनार्थ तिमाही अवधि को विहित करना;

1. "उपधारा (7)" अधि० सं० 11, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. शब्द "दस" के लिए अधि सं० 7, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपधारा (8) अतःस्थापित तत्रैव।

Scanned by CamScanner

(v) करारोपण पदाधिकारी के शक्तियों एवं दायित्वों को विहित करना;

(vi) कर वापसी, कटौती या माफी के दावा दायर करने एवं उसके निष्पादन की रीति को विनियमित करना;

(vii) धारा 21 एवं 22 के अन्तर्गत वाहनों की जप्ती, निरोध, नीलामी, बिक्री एवं मुक्ति का विनियमन;

(viii) अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की रीति, समय-सीमा तथा भुगतेय शुल्क एवं उसकी सुनवाई और निष्पादन को विहित करना;

(ix) कर-प्रतीक की दूसरी प्रति एवं करारोपण पदाधिकारी के अभिलेख की प्रमाणित प्रति निर्गमन के लिऐ देय शुल्क;

(x) करारोपण से संबंधित मामलों के निष्पादन की रीति विहित करना;

(xi) धारा 9 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रपत्र एवं निर्गमन की रीति;

(xii) अन्य मामले जो विहित किये जायें या किये जाने योग्य हों।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा जो एक ही सत्र में हो अथवा एक से अधिक सत्र में हो, जिस सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र में या उसके तुरंत बाद वाले सत्र में दोनों सदन नियम में जो उपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिये तो उसके बाद वह नियम यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या वातिल होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी कार्य की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

32. निरसन और व्यावृति–(1) बिहार मोटर वाहन करारोपण अध्यादेश, 1994 (बिहार अध्यादेश संख्या 2, 1994) को, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन निर्गत कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश, सूचना या की गयी कोई नियुक्ति, या घोषणा, दी गई छूट, या की गई अधिग्रहण या अधिरोपित किसी तरह के दंड या जुर्माना या कोई समपहरण या रद्दीकरण या किया गया कोई भी अन्य कार्य, या की गयी कोई कार्रवाई जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये, की गई, प्रदान किये गये, या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त था जिस दिन वैसा कार्य किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

(3) निरसित अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत देय अर्थ दंड, इस अध्यादेश के समतुल्य प्रावधान के अनुसार वसूल किये जा सकते हैं।, किन्तु उसका कोई विपरीत प्रभाव, निरसित अध्यादेश के प्राधिकारी से दंड वसूली हेतु की गई कार्रवाई पर नहीं होगा।

(4) इस धारा में किसी विशिष्ट विषय के वर्णन का कोई भी विपरीत प्रभाव जेनरल क्लाउजेज अधिनियम, 1897 (अधिनियम 10, 1897) की धारा 6 के सामान्य उपादेयता पर लागू नहीं होगा।

[1][अनुसूची-1

भाग-क

वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर-तालिका

(धारा-7 की उप-धारा (1) देखें)

1. अनुसूची I अधिनियम सं॰ 6, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनो का वर्ग	
			मोटर साईकिल	व्यक्तिगत मोटर कार एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4	5
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	एकमुश्त कर वाहन के वैट रहित क्रय मूल्य का का 6%	एकमुश्त कर (i) वैट रहित मूल्य का 6% रु. 4 लाख तक मूल्य के वाहन के लिए (ii) वैट रहित मूल्य का 7% रु० 4 लाख से अधिक मूल्य के वाहन के लिए।
ब		यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र-	खंड अ कॉलम (4) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत	खंड अ कॉलम(5) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत।
	1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	95%	95%
	2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	90%	90%
	3	तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	85%	85%
	4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम%	80%	80%
	5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	75%	75%
	6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	70%	70%
	7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	65%	65%
	8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	60%	60%
	9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	55%	55%
	10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	50%	50%

Scanned by CamScanner

11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	45%	45%
12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	40%	40%
13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	35%	35%
14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पन्द्रह वर्ष से कम	30%	30%
15	पन्द्रह वर्ष से अधिक	25%	25%

अनुसूची-1

[1][भाग-ख

वैयक्तिक वाहनों के लिए कर वापसी की दर-तालिका

(धारा-7 की उप-धारा (2) देखें)

खण्ड	वापसी का स्केल	वाहनों की श्रेणी	
		मोटर साईकिल	व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कार एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4
	निबंधन के बाद यदि वाहन के निबंधन का रद्दीकरण या राज्य से वर्हिगमन किया जाता हो-	अनुसूची I भाग-क के अधीन उदगृहित एक मुश्त कर के रूप मे दिए गये कर की वापसी	अनुसूची I भाग-क के अधीन उदग्रहित एकमुश्त कर का प्रतिशत के रूप में दिए गये कर की वापसी
1.	एक वर्ष के भीतर	95%	95%
2.	एक वर्ष बाद परंतु दो वर्ष के भीतर	90%	90%
3.	दो वर्ष बाद परंतु तीन वर्ष के भीतर	85%	85%
4.	तीन वर्ष बाद परंतु चार वर्ष के भीतर	80%	80%
5.	चार वर्ष बाद परंतु पाँच वर्ष के भीतर	75%	75%
6.	पाँच वर्ष बाद परंतु छः वर्ष के भीतर	70%	70%
7.	छः वर्ष बाद परंतु सात वर्ष के भीतर	65%	65%
8.	सात वर्ष बाद परंतु आठ वर्ष के भीतर	60%	60%
9.	आठ वर्ष बाद परंतु नौ वर्ष के भीतर	55%	55%
10.	नौ वर्ष बाद परंतु दस वर्ष के भीतर	50%	50%
11.	दस वर्ष बाद परंतु दो ग्यारह के भीतर	45%	45%

1 अनुसूची-1 (भाग-ख) अधिनियम सं० 3, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner

12.	ग्यारह वर्ष बाद परंतु बारह वर्ष के भीतर	40%	40%
13.	बारह वर्ष बाद परंतु तेरह वर्ष के भीतर	35%	35%
14.	तेरह वर्ष बाद परंतु चौदह वर्ष के भीतर	30%	30%
15.	चौदह वर्ष बाद	शून्य	शून्य

[1][अनुसूची-1

[2][भाग-ग

मोटर वाहन की दर-तालिका

(धारा 5 की उप-धारा 1 देखें)

क्रमांक गाड़ी की श्रेणी	मोटरवाहन कर की वार्षिक दर
(1) अशक्त व्यक्तियों के वाहन के लिये।	17.50 रु०
(2) माल वाहक गाड़ी	ट्रेलर को छोड़कर।
[2][(क) 1000 कि०ग्रा० तक निर्बंधित लदान क्षमता	(i) 1000 कि.ग्रा. तक निर्बंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू० 7700/- उदगृहीत किया जायगा। परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक पूर्व से निर्बंधित है उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी। परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रु० 7700/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा। (ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु० 7700/- उद्गृहीत किया जायगा: परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगी; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर

1. बिहार वित्त अधिनियम, 2006 (अधि० सं० 7, 2006) के द्वारा वित्त अधिनियम, 2001 की अनुसूची I का भाग-ग तथा अनुसूची II एवं मोटर वाहन करारोपन अधिनियम, 2002 की धारा 6 को निरसित कर दिया गया है जिसके द्वारा मोटर वाहन करारोपन अधिनियम, 1994 की अनुसूची I और II को संशोधित किया गया था। अत: अव 1994 अधिनियम की मूल अनुसूची I ग और II को दिया गया है।
2. अधिनियम सं० 3, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner

	के रूप में रु० 7700/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।
(ख) 1000 कि०ग्रा० से अधिक परन्तु 3000 कि०ग्रा० से अनधिक निर्बंधित लदान क्षमता	(i) 1001 से 3000 कि०ग्रा० तक निर्बंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु० 5500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से देय होगा; परन्तु ऐसे माल वाहक जो पूर्व से निर्बंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी: परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रति टन अथवा उसके अंश पर रु० 5500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा। (ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु० 5500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से उद्गृहीत किया जायगा: परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटकर की जाएगी; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रति टन अथवा उसके अंश पर रु० 5500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।
(ग) 3000 कि०ग्रा० से अधिक किन्तु 16000 कि०ग्रा० से अनधिक निर्बंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 700/- रु०
(घ) 16000 कि०ग्रा० से अधिक किन्तु 24000 कि०ग्रा० से अनधिक निर्बंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 600/- रु०
(ङ) 24000 कि०ग्रा० से अधिक निर्बंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 500/- रु०

[1][3- **मोटर कैब एवं ओमनी बस**

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

(i) तीन पहिया—(क) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु० 5,000.00 देय होगा।

1. अधिनियम सं० 8, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner

परन्तु यह कि, जो तिपहिया वाहन पूर्व से निर्बंधित है उनपर देय बकाये कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जायगी।

परन्तु आगे यह कि, अगर वाहन द्वारा पूर्व में रु० 5,000.00 से अधिक कर का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एकमुश्त कर देय नहीं होगा।

(ख) 10 वर्षो से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले पाँच वर्षो के लिए एकमुश्त रु० 5,000.00 कर देय होगा।

परन्तु यह कि, इन तीन पहिया वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना दस वर्ष की अवधि के बाद भुगतान किये गए कर की राशि को घटाकर की जायेगी।

[1][(ग) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर(–(क) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षो के लिए एक मुश्त कर रु० 7,500.00 देय होगा।

परन्तु यह कि, जो तिपहिया वाहन पूर्व से निर्बंधित है उनपर देय बकाये कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जायगी।

परन्तु आगे यह कि, अगर वाहन द्वारा पूर्व में रु० 7,500.00 से अधिक कर का भुगतान कर दिया गया हो तो उससे एकमुश्त कर देय नहीं होगा।

(ख) 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु० 7,500.00 कर देय होगा।

परन्तु यह कि, इन तीन पहिया वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना दस वर्ष की अवधि के बाद भुगतान किये गए कर की राशि को घटाकर की जायेगी।

(4) मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)–

(क) 13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता।	13 व्यक्तियों के लिये 1,583.50 रु० और 13 से अधिक 26 तक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिये 105.50 रु०।
(ख) 27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता।	27 व्यक्तियों के लिए 3,036.00 रु० और 27 व्यक्तियों से अधिक 32 व्यक्तियों तक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिये 79.00 रु०।
(ग) 33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता।	33 व्यक्तियों के लिये 3485.00 रु० और 33 व्यक्तियों से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिये 53.00 रु०।

(5) [2][x x x]

(6) ट्रेलर

(क) 500 कि० ग्रा० तक निर्बंधित लदाना क्षमता।	253.00 रु०
(ख) 500 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 2,000 कि० ग्रा० से अनधिक निर्बंधित लदान क्षमता।	253.00 रु० और 500 कि० ग्रा० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि० ग्राम या उसके खंड के लिये 29.00 रु०
(ग) 2,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 4,000 कि० ग्रा० से अनधिक निर्बंधित लदान क्षमता।	432.00 रु० और 2,000 कि० ग्राम से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि० ग्राम या उसके खंड वजन के लिये 40.00 रु०
(घ) 4,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 8,000 कि० ग्रा० से अनधिक निबंधत लदान क्षमता।	760.00 और 4,000 कि० ग्रा० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि० ग्रा० या उसके खंड वजन के लिये 49.50 रु०।
(ङ) 8,000 कि० ग्रा० से अधिक निर्बंधित लदान क्षमता।	1,568.00 रु० और 8,000 कि० ग्रा० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि० ग्राम या उसके खंड वजन के लिये 120.00 रु०।

(7) इस परिशिष्ट के उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कर देने वाले मोटर वाहनों से भिन्न वाहनों के लिये मोटर वाहन कर की दर–

---

1. अधि० सं० 8, 2010 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. विलोपित तत्रैव

Scanned by CamScanner

(क) 500 कि॰ ग्रा॰ तक निर्बंधित लदान क्षमता।	120.00 रु॰
(ख) 500 कि॰ ग्रा॰ से अधिक परन्तु 2,000 कि॰ ग्रा॰ से अनधिक निर्बंधित लदान क्षमता।	240.00 रु॰।
(ग) 2,000 कि॰ ग्रा॰ से अधिक परन्तु 4,000 कि॰ ग्रा॰ से अनधिक निर्बंधित लदान क्षमता।	480.00 रु॰।
(घ) 4,000 कि॰ ग्रा॰ से अधिक परन्तु 8,000 कि॰ ग्रा॰ से अनधिक निर्बंधित लदान क्षमता।	960.00 रु॰।
(ङ) 8,000 कि॰ ग्रा॰ से अधिक निर्बंधित लदान क्षमता	8,000 कि॰ ग्रा॰ के लिये 960.00 रु॰ और 120.00 रु॰ प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 कि॰ ग्रा॰ या उसके भाग के लिये।

अनुसूची-2

(धारा 5 की उप-धारा 2 देखें)

परिवहन वाहनों पर अतिरिक्त मोटर वाहन की दर-तालिका।

क्रमांक	वाहन की श्रेणी	अतिरिक्त मोटरवाहन कर की वार्षिक दर।
(1)	[3][x x x]	[2][x x x]
(2)	मोटर कैव (चालक को छोड़कर छः व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता)–	
	(क) [2][x x x]	
	(ख) चार पहिया..	1,600.00 रु॰
(3)	परिवहन वाहन (मालवाहक एवं मोटर कैब को छोड़कर)–	
	(क) चालक को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक किन्तु पन्द्रह व्यक्ति से अनधिक की बैठान की क्षमता।	240.00 प्रति सीट।
	(ख) चालक और सम्वाहक को छोड़कर 15 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता।	320.00 रु॰ प्रति सीट।
	(ग) चालक और सम्वाहक को छोड़कर 32 व्यक्तियों से अधिक की बैठान क्षमता।	416.00 रु॰ प्रति सीट
		[2][x x x]
(4)	ट्रेलर–	
	(क) 5,000 कि॰ ग्रा॰ तक निर्बंधित लदान क्षमता।	1,440.00 रु॰।
	(ख) 5,000 कि॰ ग्रा॰ से अधिक निर्बंधित लदान क्षमता।	1,440.00 रु॰ और प्रत्येक 1,000 कि॰ ग्रा॰ अतिरिक्त या उसके खण्ड वजन के लिए 160.00 रु॰।

[1][अनुसूची-III

व्यापारी या निर्माता द्वारा देय कर की दर-तालिका

व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
1. मोटर साईकिल	150.00
2. भारी वाहनों के चेसिस	250.00
3. अन्य वाहन	200.00

1. अधिनियम सं॰ 6, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 8, 2010 द्वारा विलोपित।
3. अधिनियम सं॰ 3, 2011 द्वारा विलोपित।

Scanned by CamScanner